(२०५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–204–एक / 2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–11–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–432 / 2006–07 / निंगरानी

.....

प्रेमलाल तिवारी पिता श्री अवधशरण तिवारी
निवासी–ग्राम खरहरी, पेशा कृषि, थाना सेमरिया
तहसील सिरमौर, जिला–रीवा(म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

मुस0 सुन्दरिया बेवा पत्नी शिवनाथ प्रसाद (मृतक) वारिसान–

1– देवराज तिवारी पुत्र स्व0 श्री शिवनाथ

2– दयानंद तिवारी

निवासीगण– ग्राम खरहरी, थाना सेमरिया, तहसील–सिरमौर
जिला–रीवा(म0प्र0)

————अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25-07-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–11–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक प्रेमलाल तिवारी द्वारा संहिता की धारा 178-110 के अंतर्गत ग्राम खरहरी, तहसील सिरमौर की प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 215/1 रकबा 1.10 एकड़ के अंश भाग 0.60 का बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सेमरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 18.01.06 से आवेदक के हित में आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया के समक्ष अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया ने प्रकरण क्रमांक 232/अ-27/2005-06 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.08.2006 से अपील समय-सीमा में मान्य की। जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में दिनांक 12.09.2006 को निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रचलित रहने के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम आदेश दिनांक 14.09.2006 से अपील स्वीकार की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने दिनांक 05.02.2007 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14.09.2006 निरस्त किया गया । दिनांक 05.02.2007 को अनावेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आदेश दिनांक 24.08.2006 को चुनौती दी गई थी, इसलिये इसी आदेश पर विचार किया जाना चाहिये। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा ने दिनांक 27.02.2007 को संशोधित आदेश पारित करते हुये आवेदक की निगरानी स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 432/निग0/2006-07 में दिनांक 03.11.2007 को आदेश पारित कर अनावेदिका की निगरानी स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया गया । उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24.08.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश दिनांक 14.09.2006 का निराकरण किया जाना न्यायसंगत है ? अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.08.2006 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अपर कलेक्टर या किसी वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन न होने से अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रचलित रहते हुये, अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 14.09.2006 को अंतिम आदेश पारित कर दिया। अपर कलेक्टर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र अंतरिम आदेश दिनांक 24.08.2006 को ही चुनौती दी गई थी। इसलिये अपर कलेक्टर को उक्त प्रश्नाधीन आदेश पर ही प्रश्नाधीन आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश दिनांक 14.09.2006 का निराकरण करने में त्रुटी की है। किसी न्यायालय के समक्ष जिस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई हो उसके पश्चात् पारित किसी अन्य अथवा अंतिम आदेश पर निष्कर्ष निकालना वैधानिक रूप से उचित नहीं है। अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश को भी विचार में लेकर निराकरण करने में अवैधानिकता की है। इसी कारण अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 03.11.2007 के द्वारा अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई है। अपर आयुक्त के आदेश में अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती है। जिससे इस निगरानी में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03—11—2007 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.